प्र०:- 1773 की घेरे की नीति से डलहौजी की मिलय की नीति तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की रणनीति के विकास की विवेचना करें।

उ:- 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर जीतने के बाद कम्पनी ने बंगाल के शासन का दिवानी अधिकार अपने पास ले लिया। 1773 में उन्होंने बंगाल पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण कर लिया। इस समय ब्रिटिश कम्पनी ने यह रणनीति बनाया कि उन्हें भारत के रजवाड़े एक आक्रामक साम्राज्यवादी शक्ति की तरह नहीं देखें। क्योंकि इस स्थिति में भारतीय रजवाड़ों का गठजोड़ बन जाता और इसके बाद साम्राज्य का निर्माण लगभग असम्भव हो जाता। उन्होंने अपने दर्जे को इस तरह तय किया जिसमें कम्पनी मुगल सम्राट के अधिनस्थ एक राज्य है जो अन्य भारतीय राजाओं के समान दर्जा रखता है। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने जीते हुए प्रदेश को बाहर के हमले से सुरक्षित रखने के लिए 'घेरे की नीति' अपनाया इसका मुख्य प्रावधान इस प्रकार है।:-

(i) इसने अपने पड़ोसी राज्य को सुरक्षा दिया और उसका मूल्य उसी से वसूल किया।

(ii) उस पड़ोसी राज्य को इस शर्त का पालन करना होता था कि वह किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध या संधि करने से पहले ब्रिटिश कम्पनी की सहमति लेगा।

(iii) इसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता था कि कम्पनी अपने पड़ोसी की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी।

इस नीति के तहत ही कम्पनी ने अवध के साथ उपरोक्त शर्तों का समझौता किया जिसके अंतर्गत कम्पनी का उद्देश्य यह था कि वह मराठों के हमले

Scanned with CamScanner

से अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। इस नीति का परिणाम यह था कि कम्पनी का राज्य तो सुरक्षित हुआ ही अवध के ऊपर कम्पनी के प्रभाव में भी वृद्धि हो गयी। लेकिन स्मरणीय है कि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा में निहित था न कि अवध के ऊपर प्रभाव विस्तार में। 1798 ई० तक आते-आते कम्पनी को यह विश्वास हो गया था कि भारत में उसकी शक्ति पर्याप्त रूप से बढ़ चुकी है और भारतीय रजवाड़ों में से उन्हें चुनौती देने की क्षमता अब किसी एक में नहीं है। अब उन्हें चुनौती देने की संभावना सिर्फ और सिर्फ संयुक्त मोर्चा में ही है। इसलिए कम्पनी ने रिंग फेंस की नीति के प्रावधानों को ही मामूली सा विस्तार देकर ज्यादा आक्रामक तरीके से भारत में लागू करने का प्रयास किया इस नई नीति का नाम सहायक संधि था। घेरे की नीति से सहायक संधि जिस एक बात पर सबसे ज्यादा अलग है वह है - नीति के पीछे छुपे उद्देश्य में अंतर। कम्पनी ने सहायक संधि की योजना इस उद्देश्य से अपनाया था ताकी भारत के रजवाड़े बड़ी संख्या में कम्पनी के प्रभावाधीन आ जायें और उनकी सुरक्षा के लिए। गठित सेना का सर्च चुकि वो राजा स्वयं उठायेंगे इसलिए कम्पनी को बिना पैसा खर्च किये ही एक बड़ी सैनिक शक्ति प्राप्त हो जायेगी।

सहायक संधि के दौर में भी व्यवहार में भले ही संधि पत्र पर दस्तखत करने वाले भारतीय राजा कई स्तर पर अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश कम्पनी और भारतीय राजा का दर्जा बराबरी का ही था।

Scanned with CamScanner